"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120] रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 जून 2005—ज्येष्ठ 28, शक 1927

राज भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 जून 2005

अधिसूचना

क्रमांक/42/रास/एसए/2005.—छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सलाह पर भारत के संविधान की धारा 164 के अंतर्गत विधान सभा के सदस्य सुश्री लता उसेण्डी को राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नियुक्त किया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.